

संचार मंत्रालय
मांग संख्या 12
डाक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	27994.36	811.27	28805.63	30412.00	947.74	31359.74	31715.87	743.26	32459.13	34057.22	1131.21	35188.43	
वसूलियां	-821.29	...	-821.29	-857.35	...	-857.35	-857.35	...	-857.35	-953.00	...	-953.00	
प्राप्तियां	-13195.68	...	-	-19203.29	...	-	-19203.29	...	-	-18710.05	...	-	
निवल	13977.39	811.27	14788.66	10351.36	947.74	11299.10	11655.23	743.26	12398.49	14394.17	1131.21	15525.38	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. स्थापना संबंधी व्यय													
1.01	वेतन और भत्ते	16553.51	...	16553.51	17451.53	...	17451.53	18705.47	...	18705.47	19827.80	...	19827.80
1.02	पेंशन	8705.82	...	8705.82	10271.10	...	10271.10	10400.00	...	10400.00	11024.00	...	11024.00
1.03	अन्य व्यय	1707.21	2.72	1709.93	1559.13	15.00	1574.13	1598.24	15.00	1613.24	1776.40	15.00	1791.40
1.04	घटाए- डाक प्राप्तियां	-13195.68	...	-13195.68	-19203.29	...	-19203.29	-19203.29	...	-19203.29	-18710.05	...	-18710.05
	निवल	13770.86	2.72	13773.58	10078.47	15.00	10093.47	11500.42	15.00	11515.42	13918.15	15.00	13933.15
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं													
2.	डाक प्रचालन	182.35	424.58	606.93	245.40	528.07	773.47	145.90	351.71	497.61	435.32	769.21	1204.53
3.	वित्तीय सेवाएं	...	0.02	0.02
4.	भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक	...	300.00	300.00	...	335.00	335.00	...	335.00	335.00	...	220.00	220.00
5.	मानव संसाधन प्रबंधन	24.18	0.50	24.68	26.39	8.07	34.46	8.41	2.05	10.46	40.20	7.00	47.20
6.	संपदा प्रबंधन	...	83.45	83.45	1.10	61.60	62.70	0.50	39.50	40.00	0.50	120.00	120.50
	जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	206.53	808.55	1015.08	272.89	932.74	1205.63	154.81	728.26	883.07	476.02	1116.21	1592.23
	कुल जोड़	13977.39	811.27	14788.66	10351.36	947.74	11299.10	11655.23	743.26	12398.49	14394.17	1131.21	15525.38
ख. विकास शीर्ष													
आर्थिक सेवाएं													

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. डाक सेवाएं	13977.39	...	13977.39	10322.47	...	10322.47	11640.72	...	11640.72	14353.87	...	14353.87
2. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान
3. डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	511.27	511.27	...	554.53	554.53	...	368.83	368.83	...	829.33	829.33
4. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	300.00	300.00	...	335.00	335.00	...	335.00	335.00	...	220.00	220.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	13977.39	811.27	14788.66	10322.47	889.53	11212.00	11640.72	703.83	12344.55	14353.87	1049.33	15403.20
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	28.89	...	28.89	14.51	...	14.51	40.30	...	40.30
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	58.21	58.21	...	39.43	39.43	...	81.88	81.88
जोड़-अन्य	28.89	58.21	87.10	14.51	39.43	53.94	40.30	81.88	122.18
कुल जोड़	13977.39	811.27	14788.66	10351.36	947.74	11299.10	11655.23	743.26	12398.49	14394.17	1131.21	15525.38

(₹ करोड़)												
	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय डाक भुगतान बैंक	300.00	...	300.00	335.00	...	335.00	335.00	...	335.00	220.00	...	220.00
जोड़	300.00	...	300.00	335.00	...	335.00	335.00	...	335.00	220.00	...	220.00

1. **स्थापना संबंधी व्यय:** डाक विभाग अपने स्थापना संबंधी और स्कीमों/परियोजनाओं पर व्यय करता है। स्थापना संबंधी व्यय में मुख्यतः वेतन, पेंशन और अन्य व्यय हैं। अन्य व्यय में विभाग के सभी कार्यचालन व्यय शामिल हैं।

2. **डाक प्रचालन:** डाक संचालन के लिए प्रावधान जिसमें डाक संचालन, आईटी प्रवर्तन तथा आधुनिकीकरण इत्यादि जैसी प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं। इसमें वित्तीय सेवाओं का प्रावधान शामिल है।

4. **भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक:** 'भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक' को पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान।

5. **मानव संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान मानव संसाधन प्रबंधन के लिए है, जिसमें प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

6. **संपदा प्रबंधन:** यह प्रावधान भवनों के निर्माण सहित संपदा प्रबंधन के लिए है।